पॉक्सो पीड़ित का फुटबाल बना दिया थाना मुजेसर और महिला थाना ने

बलात्कार के मामले में समझौता कराती है फरीदाबाद पुलिस

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 19 नवम्बर को सेक्टर 24 स्थित आजाद नगर कॉलोनी में रहने वाली आठवीं जमात की छात्रा रेहाना के साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने जब उसकी मां थाना मुजेसर पहुंची तो पुलिसवालों ने मामले को रफ़ा-दफ़ा करके समझौता कराने का प्रयास किया।

थाना मुजेसर के ठीक सामने, करीब 300 मीटर के फ़ासले पर रेलवे लाइन के साथ बसी आजाद नगर कॉलोनी में उक्त नाबालिग छात्रा अपने मां-बाप के साथ रहती है। लड़की का राजमिस्त्री पिता रोजमर्रा की तरह काम पर गया था और मां बस्ती में कहीं आस-पास किसी के घर गई हुई थी। बच्ची को अकेली घर में पाकर मंतोष नामक युवक, जो बगल के ही घर में रहता है, ने घर में घुसकर बच्ची को दबोच लिया। उसका मुंह दबा कर पड़ोस के एक खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया।

इसी बीच लड़की की मां लौट आई और घर में बच्ची को न पाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसका शक सीधे मंतोष पर ही गया था क्योंकि वह पहले भी कई बार बच्ची से छेड़खानी कर चुका था और समझाने-धमकाने पर माफ़ी मांगते हुए आगे से ऐसा न करने का वायदा कर चुका था। बच्ची की मां का विलाप सुन कर मंतोष की मां हड़बड़ाती हुई अपने घर से निकली तो दूसरी ओर से मंतोष ने बच्ची

पॉक्सो पीड़ित

भटकती मां

को उस टॉयलेट से निकाल दिया जहां से बंद कर रखा था। बेटे को दोषी देख कर मंतोष की मां ने बेहोश होकर गिरने का नाटक किया। ऐसे में सब लोग़ों का ध्यान उसकी ओर हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची की मां को लड़के के खिलाफ़ उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन देकर रोक लिया।

अगले दिन हिम्मत करके बच्ची की मां थाने गई तो वहां पर उसकी बात समझने वाला कोई न मिला तो वह 21 नवम्बर को अपने दो-चार समझदार पड़ोसियों को लेकर थाने पहुंची। वहां सिविल कपड़ों में मौजूद किसी उधम सिंह ने बगैर अपना नाम व रैंक बताये उनको लड़की की इज्जत व अदालती झमेलों का भय दिखा कर समझौता करने की सलाह देकर चलता कर दिया। 23 तारीख को आस-पास रहने वाले शीशपाल ने **'मज़दूर मोर्चा'** के रिपोर्टर शेखरदास से सम्पर्क किया। ये दोनों बच्ची की मां के साथ थाने पहुंचे तो वहां कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि बच्ची की मां 21 तारीख को मुकदमा दर्ज कराने आई थी। अनपढ़ और घबराई हुई लड़की की मां थाने में किसी की भी पहचान व नाम बताने की स्थिति में नहीं थी। जाहिर है कि यह सब थाने के कुप्रबन्धन का परिणाम था, वहां क्यों नहीं किसी वर्दीधारी अधिकारी ने उसके साथ बात-चीत कर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की? यह तथ्य भी सामने आया है कि उसी बस्ती का पप्पू नामक पुलिस का दल्ला इस मामले में काफ़ी सक्रियता से थाने में घूम रहा था। खैर, जो भी है शेखरदास व शीशपाल के जाने पर एसएचओ संदीप को इसकी भनक पड़ गई। उन्होंने खूद पूरे केस को सुना व समझा, नियमानुसार थाने के लिये नियुक्त महिला वकील को बुलवाया और मामले को महिला थाना एनआईटी के लिये रवाना कर दिया।

थाना मुजेसर से करीब 3.30 बजे लड़की पक्ष वाले सेक्टर 21बी स्थित महिला थाने ले जाया गया। शाम करीब साढे छह बजे तक उन्हें तरह-तरह के बहानों से बैठा कर वापस मुजेसर थाना ले आये और इन्हें लगभग 10 बजे तक यहां बैठाये रखा गया और कहा कि अभी तो कार्रवाई 12 बजे तक चलेगी और तुम्हें यही बैठना पड़ेगा। तंग आई लड़की की मां ने जोड़े दो हाथ और कहा हमें नहीं कराना कुछ हम जा रहे हैं। यही है ईमानदार खट्टर की ईमानदार पुलिस का खेला।

पॉक्सो अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को प्रथम सूचना देते ही उसका संज्ञान लेना चाहिये। लेकिन इस मामले के कई दिनों तक थानों में घूमते रहने व एसएचओ मुजेसर व एसएचओ महिला थाना एनआईटी के संज्ञान में आने के बावजूद कार्यवाही रही निल बटा सन्नाटा। शिकायतकर्ता गरीब एवं अनपढ महिला को थाना मुजेसर से महिला थाना एनआईटी तक इस कदर दौड़ाये जाता रहा कि रात के साढे नौ बजे उसने हथियार डालते हुए पुलिस कार्यवाही कराने से तौबा कर ली। एसएचओ मुजेसर संदीप से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामला महिला थाने को रैफ़र कर दिया गया है।

इस बाबत एसएचओ महिला थाना सुशीला से पूछने पर उन्होंने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि अभी वे व्यस्त हैं, एक घंटे बाद पूरी जानकारी ले कर इस संवाददाता को सूचित करेगी। लेकिन उसके बाद न तो उनका फ़ोन आया और न ही वे फ़ोन पर उपलब्ध हुई। पॉक्सो एक्ट के मुताबिक प्रथम सूचना मिलने पर पुलिस पीड़ित महिला को कानूनी सहायता के लिये निर्धारित पैनल से महिला वकील को बुलायेगी।

इस मामले में बुलाई गई महिला वकील के कानूनी ज्ञान व उनके कर्त्तव्य बोध को देख कर इस संवाददाता के ज्ञान चक्षू भी खुले के खुले रह गये। पूरी पुलिसिया भाषा में बोलते हुए वकील साहिबा ने फ़र्माया कि मीडिया वाले आ जाते हैं वकालत करने, जबकि सच्चाई को समझने का प्रयास नहीं करते। पीड़िता बार-बार बयान बदलते हुए कभी कुछ और कभी कुछ कहे जा रही थी। एसएचओ भी बेचारा सुन-सुन कर पागल हो गया। मैं भी 11 बजे रात को घर पहुंची। एक सीधे प्रश्न के जवाब में वकील साहिबा ने कहा कि ऐसे ही कैसे मुकदमा दर्ज करा दें जब वह ढंग से बयान ही न दे तो।

महकमा पुलिस को चाहिये कि अपने तमाम अधिकारियों को समझाए कि पॉक्सो एक्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर एसएचओ द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर वह खूद भी अपराधी बन जाता है।

पुलिस ने जुआ पकड़ा कुछ, पर बताया कुछ

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 22-23 की मध्य रात्रि में थाना सारण के इलाके में स्थित न्यू जनता कॉलोनी के मकान नम्बर 1220 की दूसरी मंजिल पर चल रहे जुए पर सेक्टर 17 की क्राइम ब्रांच ने छापा मार कर 23 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे 1 लाख 29 हजार रपये नकद बरामद हुए, लेकिन पुलिस ने बरामदगी दिखाई केवल 96 हजार 800 रुपये की। इसके अलावा करीब 56 लाख के टोकन बरामद हुए, लेकिन पुलिस ने केवल 13 लाख 55 हजार रुपये के टोकनों की बरामदगी दिखाई।

नकदी की असल व दिखाई जाने वाली बरामदगी में तो कोई खास अंतर नहीं है लेकिन टोकनों की बरामदगी में बड़ा झोल नज़र आ रहा है। यह झोल कोई मुफ़्त में तो बनाया नहीं गया, इसके लिये बाकायदा सौदेबाज़ी 30 लाख से शुरू होकर 12 लाख पर आकर टिकी। यानी कि पुलिसवालों ने इस झोल के बदले मांगे तो 30 लाख थे लेकिन मोल-भाव के बाद 12 लाख में सौदा पट गया था।

विदित है कि चतुर जुआरी खेल के समय नकदी लगाने की बजाय प्लास्टिक के टोकन इस्तेमाल करते हैं। इन टोकनों के बदले पैसा पहले ही जमा करा कर कहीं सुरक्षित रखवा दिया जाता है जो मौके पर बरामद नहीं होता। यहां पुलिस का यह हथकंडा होता है कि टोकनों की असल रकम बरामद करने के नाम पर इन जुआरियों को खूब मार-पीट व प्रताड़ित करके इतना डरा दिया जाता है कि वे सौदा

जमानती अपराध के मामूली जुआरियों को पकड़ कर पुलिस ऐसे प्रदर्शित कर रही है मानो कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराधी गैंग पकड़ लिया हो। असली मसला तो बारह लाख की रिश्वत वसूली का है।

करने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में पुलिस के पास बहुत अधिक समय नहीं होता कि वह इतने लोग़ों को जुए जैसे मामूली अपराध में लम्बे समय तक अपने हिरासत में रख सके अथवा कोर्ट से रिमांड हासिल कर सके। इसलिये पुलिस तुर्त-फुर्त लेन-देन का सौदा तय कर लेती है।

सौदा लगभग तय हो चुका था और 23 में से 5 लोगों को छोड़ कर शेष 18 के विरुद्ध मामला दर्ज करके नियमानुसार जमानत पर छोड़ दिया। इसी प्रक्रिया के दौरान सागर चौहान नामक एक व्यक्ति मौके पर आ पहुंचा। उसने अपना परिचय बतौर इन्स्पेक्टर नरेन्द्र चौहान के चचेरे भाई के रूप में दिया। सागर पकड़े गये लोग़ों में से एक बेगुनाह की पैरवी करने पहुंचा था। लेकिन पुलिसवालों ने उसकी बात सुनने की अपेक्षा उसके साथ काफ़ी मार-पीट कर दी। इसके बदले सागर ने बाहर आकर दिन में उन तमाम जुआरियों को पुलिसिया कानून की पोल-पट्टी खोल कर समझा दिया कि 12 लाख देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इस मामले में पुलिस और कुछ भी नहीं कर सकती। लिहाज़ा जुआरी मुकर गये। इस पर बौखलाये, यूनिट के ईंचार्ज इन्स्पेक्टर संदीप मौर ने उस एएसआई ईश्वर सिंह को हड़काया जिसने वसूली का जिम्मा लिया था। ईश्वर ने यह जिम्मा ओल्ड फ़रीदाबाद के एक बड़े जुआरी एनडी व लालू के भरोसे पर लिया था। एनडी के साथ ईश्वर का लाखें रुपये का लेन-देन का धंधा चलता रहता है।

अब इन्स्पेक्टर मोर तमाम जमानत पर छोड़े गये जुआरियों को धमकी दक रहे हैं कि वह अदालत में पेश होने से पहले एक-एक को पकड़ कर अच्छी कुटाई करेंगे। जाहिर है कि इसके लिये इन्स्पेक्टर मोड़ अपने पद एवं सक्ति का दुरूपयोग करते हुए इन लोगों को जबरण घरों से अथवा दायें-बायें से बिना किसी अपराध के, केवल वसूली के उद्देश्य से उठायेंगे।

जुआ एक बुरी लत है, लेकिन फ़िर भी इसके लिये कानून किसी की निर्मम पिटाई करने व उसे लूटने का अधिकार नहीं देता। बरामद रकम में से बिना कोई गड़बड़ी किये सारी रकम सरकारी खजाने में जमा की जानी चाहिये।

एक ओर तो पुलिस जुआ रोकने के नाम पर यह सब उत्पात कर रही है वहीं दूसरी ओर बड़े कार्पोरेट ऑनलाइन जुआ खेलने का प्रचार रात-दिन टीवी पर कर रहे हैं। मतलब साफ़ है कि लोग जुआ तो खेलें लेकिन बड़े कार्पोरेटों द्वारा बताये गये ऑनलाइन तरीके से खेलें, वहां पुलिस भी नहीं पहुंच सकेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06